न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 188 / 2007

1 जगमाल सिंह दत्तक पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी चिचडोली तहसील व जिला झुन्झुनूं। (मृतक)
1/1 भवानी सिंह उम्र 53 साल पुत्र जगमालसिंह
1/2 नानकंवर उम्र 85 साल पत्नी जगमाल सिंह
जाति राजपूत निवासी चिंचड़ोली तहसील व जिला झुन्झुनूं।
1/3 हवाकंवर पुत्री जगमाल सिंह पत्नी स्व. रामसिंह
1/4 कैलाश कंवर पुत्री जगमाल सिंह पत्नी विजयसिंह
जति राजपूत निवासी साऊ तहसील डेगाना जिला नागौर।

अपीलांट्स

बनाम

1 धारूसिंह पुत्र श्री प्रभुसिंह तथाकथित दत्तक पुत्र रामनारायण सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्दपुरा हाल चिचड़ोली तहसील व जिला झुन्झुनूं। मृतक
1/1 श्रीमती कमल कंवर पत्नी स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह
1/2 कृष्ण सिंह पुत्र स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह
1/3 ईश्वर सिंह पुत्र स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह
जाति राजपूत निवासीगण चिचड़ोली पोस्ट भडून्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
1/4 श्रीमती सुरेश कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ढिलढाणी तहसील परबतसर जिला नागौर।
1/5 श्रीमती सुमन कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी हरिसिंह जाति राजपूत निवासी जुसरी तहसील मकराना जिला नागौर।
1/6 श्रीमती कुसुम कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी जुसरी तहसील मकराना जिला नागौर।
1/7 श्रीमती धन्नु कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी ढिलढाणी तहसील परबतसर जिला नागौर।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1/8 गजराज कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी रविन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गिगालिया बेतरोली तहसील मकराना जिला नागौर।
1/9 श्रीमती प्रियंका कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी सुरजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगालिया पोस्ट बसरोली तहसील मकराना जिला नागौर राज.।
2 हरिसिंह उम्र 68 साल पुत्र श्री मूलसिंह (दौराने अपील विचाराधीन मृत्यु)
3 अजीत सिंह उम्र 37 साल पुत्र हरिसिंह
4 विक्रम सिंह उम्र 30 साल पुत्र हरिसिंह
5 गजेन्द्र सिंह उम्र 25 साल पुत्र हरिसिंह
समस्त जातिगण राजपूत निवासी हरनावा तहसील परबतसर जिला नागौर राज.।
6 श्रीमती आनन्द कंवर उम्र 40 साल पुत्री हरिसिंह स्त्री भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी डूकिया वाया पलसाना जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2007
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं उनवानी मुकदमा
जगमाल सिंह बनाम धारूसिंह वगै. मु.नं. 127/1998

अपील संख्या 186/2007

1 हरिसिंह उम्र 68 साल पुत्र श्री मूलसिंह (दौराने अपील विचाराधीन मृत्यु)
2 अजीत सिंह उम्र 37 साल पुत्र हरिसिंह
3 विक्रम सिंह उम्र 30 साल पुत्र हरिसिंह
4 गजेन्द्र सिंह उम्र 25 साल पुत्र हरिसिंह
समस्त जातिगण राजपूत निवासी हरनावा तहसील परबतसर जिला नागौर राज.।
5 श्रीमती आनन्द कंवर उम्र 40 साल पुत्री हरिसिंह स्त्री भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी डूकिया वाया पलसाना जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 धारूसिंह पुत्र श्री प्रभुसिंह तथाकथित दत्तक पुत्र रामनारायण सिंह जाति राजपूत निवासी गोविन्दपुरा हाल चिचड़ोली तहसील व जिला झुन्झुनूं। मृतक

1/1 श्रीमती कमल कंवर पत्नी स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह

1/2 कृष्ण सिंह पुत्र स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह

1/3 ईश्वर सिंह पुत्र स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह

जाति राजपूत निवासीगण चिचड़ोली पोस्ट भडून्दा खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

1/4 श्रीमती सुरेश कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ढिलढाणी तहसील परबतसर जिला नागौर।

1/5 श्रीमती सुमन कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी हरिसिंह जाति राजपूत निवासी जुसरी तहसील मकराना जिला नागौर।

1/6 श्रीमती कुसुम कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी जुसरी तहसील मकराना जिला नागौर।

1/7 श्रीमती धन्नु कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी विक्रमसिंह जाति राजपूत निवासी ढिलढाणी तहसील परबतसर जिला नागौर।

1/8 गजराज कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी रविन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गिगालिया बेतरोली तहसील मकराना जिला नागौर।

1/9 श्रीमती प्रियंका कंवर पुत्री स्व. धारूसिंह उर्फ धारीसिंह पत्नी सुरजपाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगालिया पोस्ट बसरोली तहसील मकराना जिला नागौर राज.।

2 जगमाल सिंह दत्तक पुत्र उगमसिंह जाति राजपूत निवासी चिचडोली तहसील व जिला झुन्झुनूं। (मृतक)

2/1 भवानी सिंह उम्र 53 साल पुत्र जगमालसिंह

2/2 नानकंवर उम्र 85 साल पत्नी जगमाल सिंह

जाति राजपूत निवासी चिंचड़ोली तहसील व जिला झुन्झुनूं।

2/3 हवाकंवर पुत्री जगमाल सिंह पत्नी स्व. रामसिंह

2/4 कैलाश कंवर पुत्री जगमाल सिंह पत्नी विजयसिंह

जति राजपूत निवासी साऊ तहसील डेगाना जिला नागौर।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2007
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं उनवानी मुकदमा
ज्गमालसिंह बनाम धारूसिंह वगै. मु.नं. 127/1998

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलान्ट
3. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 31/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 127/1998 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी जगमाल सिंह ने दावा घोषणा व निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वाके ग्राम चिचड़ोली की भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा की खातेदारी की उद्घोषणा चाही। विचारण न्यायालय में प्रतिबादी संख्या 1 धारूसिंह की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया। वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर कुल 8 तनकीयात कायम की एवं बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा वाके ग्राम चिचड़ोली का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से अपील संख्या 186/2007 प्रस्तुत की गई है एवं वादी जगमाल सिंह की ओर से अपील संख्या 188/2007 प्रस्तुत की गई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री राजेन्द्र बुडानियां ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी वादी के रूप में दावा लेकर आया था अपीलार्थी उगमसिंह का दत्तक पुत्र है। इस तथ्य बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 6 ने स्वीकृति दी है तथा अपने जवाब दावें में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 6 ने स्पष्ट अंकिन किया है कि उगमसिंह की कोई पुत्र संतान न होने पर उन्होंने चैत्र सुदी नवमी संवत 2009 जगमाल सिंह को गोद लिया था। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 गोद के तथ्य बाबत कोई भी बात न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए सक्षम नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 6 अपीलार्थी को उगमसिंह का गोद का बेटा मानते है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने उगम सिंह का दत्तक पुत्र होने का साक्ष्य के रूप में निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें जगमाल सिंह पुत्र उगमसिंह अंकित है जो प्रदर्श 10 व प्रदर्श 11 है जिनमें उक्त निर्वाचन नामावली सन 1993 की पेश की है जो प्रदर्श 10 है तथा निर्वाचन नामावली सन 1998 पेश की है जो प्रदर्श 11 है। उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज है जिनमें जगमाल सिह का दत्तक पिता उगमसिंह दर्ज है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने असल राशन कार्ड संख्या 916 प्रदर्श 8 व असल परिवार राशन कार्ड संख्या 17/89 बहक जगमाल सिंह प्रदर्श–9 पेश किये है उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के विपरित मौखिक साक्ष्य को अधिक प्रबल माना है जबकि मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा दस्तावेजी साक्ष्य अधिक प्रबल है तथा उक्त दस्तावेज यदि लोक दस्तावेज है तो उस साक्ष्य का मुल्य और अधिक बढ़ जाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 विपरित कब्जे की यह थ्योरी लेकर आया कि रामनारायण सिंह उर्फ रामनाथ सिंह से उगमसिंह ने 2000 रूपये संवत 2016 में उधार लिये तथा उसके बदले जमीन खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा भूमि एक साल के लिये काश्त के लिये बता दी इस तथ्य को विचारण न्यायालय ने विपरित कब्जे के आधार माना जबकि उक्त 2000 रूपये की लिखावट विचारण न्यायालय के समक्ष साबित नहीं करवाई गई है। विचारण न्यायालय जगमालसिंह को उगमसिंह का दत्तक पुत्र नहीं मानती है। उस परिस्थिति में खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा भूमि की ट्रू ऑनर उगमसिंह की मृत्यु के पश्चात रतन कंवर नहीं है तथा रतन कंवर की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 रहे है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के विपरित

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कब्जे की थ्योरी रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 6 के विरूद्ध नहीं ली है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के विपरित कब्जे की थ्योरी बाबत कथन किया है जबकि उगमसिंह की मृत्यु 1966 में होना दर्शित किया है उगमसिंह के पश्चात विपरित कब्जे की थ्योरी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपीलार्थी के विरूद्ध कथन करता है दूसरी तरफ अपीलार्थी को गोद का बेटा नहीं होने का कथन करता है दोनों कथन आपस में विरोधाभाषी है विपरित कब्जा की थ्योरी जब दावे में कथन की जाती है तो उसको **Exclusire & Hostyle** रूप में साबित करना आवश्यक है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 **Exclusire** रूप से अपनी विपरित कब्जे की थ्योरी साबित नही कर सका है। फिर भी विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भुल की है। अपील स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय दिनांक 27.08.2007 निरस्त फरमाई जाकर अपीलार्थी को भूमि खसरा नम्बर 195 तादादी 5 बीघा 15 बिश्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2023(2) पेज 1425, आरआरटी 2022(2) पेज 1118, माननीय मण्डल के द्वारा अपील संख्या 593/2020 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.2024 की प्रति, आरआरटी 2022(2) पेज 1148 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट श्री संदीप बिजारणियां ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 6 के काउन्टर क्लेम पेश किया उस बाबत विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री में कोई भी फाईडिंग नहीं दी जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने जवाब दावा में अपीलार्थी नम्बर 1 की पत्नी व अपीलार्थी नम्बर 2 लगायत 5 की माता श्रीमती रतनकंवर को स्पष्ट रूप से स्व. उगमसिंह की उत्तराधिकारी माना है तथा अपने जवाब दावें में यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा भूमि उगमसिंह की टिनेन्सी की थी तथा उगमसिंह की एकमात्र उत्तराधिकारी स्व रतनकंवर थी। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 को उगमसिंह का दत्तक पुत्र नहीं माना है परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष यह इन्कार करने का आधार नहीं है कि उगमसिंह की वारिस रतनकंवर न हो। विचारण न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

है उसमें खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा भूमि का टिनेन्ट उगमसिंह था उसके पश्चात उगमसिंह की एकमात्र पुत्री संतान उक्त भूमि की टीनेन्ट हुई। उक्त भूमि बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विपरित कब्जा की थ्योरी लेकर आया है जबकि 2000 रूपये की लिखावट बाबत कथन किया गया तथा उसका कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ है फिर भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। उगमसिंह की मृत्यु के पश्चात जब उत्तराधिकार के आधार पर खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा की भूमि की टीनेन्सी रतनकंवर के नाम दर्ज हुई तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उसकी अपील वगै. नहीं की। अपीलार्थीगण ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जगमाल सिंह उगमसिंह का दत्तक पुत्र है जब अपीलार्थीगण इस तथ्य को स्वीकार करते है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उगमसिंह का दत्तक पुत्र है उस परिस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गोद के तथ्य को खंडित करने का आधार नहीं रखता। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के टिनेन्सी के दावे को गोद का पुत्र नहीं मानते हुये खारिज कर दिया परन्तु अपीलार्थीगण उगमसिंह के वैध अधिकारी है उक्त भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा भूमि का 1/2 हिस्सा भूमि का टिनेन्ट रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 होना चाहिय थात था 1/2 हिस्सा भूमि के टिनेन्ट अपीलार्थीगण होने चाहिये थे। विचारण न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को दत्तक पुत्र नहीं मानती है तो संपूर्ण भूमि का खातेदार अपीलार्थीगण को घोषित किया जाना चाहिये था। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपीलार्थी व रतनकंवर के विरूद्ध विपरित कब्जा की थ्योरी लेकर नहीं आये है तथा उगमसिंह की मृत्यु जनवरी 1966 में होना दर्शित की है तथा टीनेन्सी ला 15.10.1955 में बना है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की विपरित कब्जा की थ्योरी न समय अवधि है हिसाब से साबित है तथा नही ट्रू ऑनर के खिलाफ विपरित कब्जा की थ्योरी लेकर आये है। फिर भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी भुल की है। अपील स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय दिनांक 27.08.2007 निरस्त फरमाई जाये तथा अपीलार्थीगण को भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा का अपीलार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी जगमाल सिंह ने दावा घोषणा व निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वाके ग्राम चिचड़ोली की भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा की खातेदारी की उद्घोषणा चाही। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 धारूसिंह की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया। वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर कुल 8 तनकीयात कायम की एवं बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा वाके ग्राम चिचड़ोली का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में तनकी संख्या 1 वादी के जिम्मे थी कि वह विवादित भूमि की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। इस संदर्भ में वादी जगमाल सिंह ने अपने बयानों में स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि विवादित जमीन को प्रतिवादी संख्या 1 काश्त करता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि पर संवत 2016 से प्रतिवादी संख्या 1 का निरन्तर कब्जा साबित है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने वादी के दावे का इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादी को 2009 में उगमसिंह द्वारा गोद लेने का कथन किया है। विचारण न्यायालय में वादी के वाद प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के जवाब दावे व काउंटर क्लेम के कथनों में परस्पर विरोधाभाषी तथ्य अंकित किये गये है। वादी के उगम सिंह का दत्तक पुत्र होने अथवा नहीं होने के संदर्भ में विचारण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। वादी द्वारा इस संदर्भ में आदिनांक तक सिविल न्यायालय में चाराजोही नहीं की गई है। संवत 2016 से निरन्तर कब्जे के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वाद दिनांक 23.11.1998 को संस्थित किया गया है। वादी के गवाह पृथ्वी सिंह ने अपने बयानों में कथन किया है कि उगम सिंह की मृत्यु 1965 में एवं उगम सिंह की पत्नी की मृत्यु 1966 में हुई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादी ने स्वयं को 1968 में गोद लेने का कथन किया है। विचारणीय तथ्य यह है कि 1968 से 1998 तक 30 साल तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से विवादित भूमि के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई चाराजोही नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी जगमाल सिंह ने दावा घोषणा व निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर वाके ग्राम चिचड़ोली की भूमि खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 5 बिश्वा की खातेदारी की उद्घोषणा चाही। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 धारूसिंह की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया। वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर कुल 8 तनकीयात कायम की एवं बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 193 रकबा 5 बीघा 15 बिश्वा वाके ग्राम चिचड़ोली का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में तनकी संख्या 1 वादी के जिम्मे थी कि वह विवादित भूमि की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी है। इस संदर्भ में वादी जगमाल सिंह ने अपने बयानों में स्पष्ट तौर पर स्वीकार किया है कि विवादित जमीन को प्रतिवादी संख्या 1 काश्त करता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि पर संवत 2016 से प्रतिवादी संख्या 1 का निरन्तर कब्जा साबित है।

प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने वादी के दावे का इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादी को 2009 में उगमसिंह द्वारा गोद लेने का कथन किया है। विचारण न्यायालय में वादी के वाद प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के जवाब दावे व काउंटर क्लेम के कथनों में परस्पर विरोधाभाषी तथ्य अंकित किये गये है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वादी के उगम सिंह का दत्तक पुत्र होने अथवा नहीं होने के संदर्भ में विचारण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। वादी द्वारा इस संदर्भ में आदिनांक तक सिविल न्यायालय में चाराजोही नहीं की गई है। संवत 2016 से निरन्तर कब्जे के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वाद दिनांक 23.11.1998 को संस्थित किया गया है। वादी के गवाह पृथ्वी सिंह ने अपने बयानों में कथन किया है कि उगम सिंह की मृत्यु 1965 में एवं उगम सिंह की पत्नी की मृत्यु 1966 में हुई है। वादी ने स्वयं को 1968 में गोद लेने का कथन किया है। विचारणीय तथ्य यह है कि 1968 से 1998 तक 30 साल तक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से विवादित भूमि के संदर्भ में किसी प्रकार की कोई चाराजोही नहीं की गई है।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)